

CNR-No-UPFD-040-50449-2022
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-5088/22

दिनांक-22-11-2022

आज अभियुक्त चांद के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मु०अ०सं० 389/22 अं० धारा- 411 भा०द०सं० थाना रसूलपुर जिला-फिरोजाबाद के मामले में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कथन किया गया है कि अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है, अन्य कथनों के साथ जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन पर विरोध प्रस्तुत किया गया।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, अभियुक्त काफी समय से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति का है, एवं मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में आधार जमानत पर्याप्त है। अतः अभियुक्त द्वारा 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र के साथ इसी राशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
फिरोजाबाद